

श्रीमान जी प्रार्थिया काली देवी पटवारी रिपोर्ट का नाम ग्राम केरिया खुई के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में खाता सं.: 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119 120, 122, 123, 38 में नामांतरण सं. 30 दिनांक 23/08/2024, 302 दिनांक 23/8/24 29/ दिनांक - 10/06/2024 विरासत से ऑनलाईन नामांतरण दर्ज करते समय काली पति रामलाल झुटी से काली पति रामलाल दर्ज हो गया है। प्रार्थिया के दस्तावेजान के अनुसार उक्त खाते में कारी के स्थान पर काली देवी पति रामलाल करना उचित है।

भू अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट श्रीधरजी, पटवारी रिपोर्ट एवं संलग्न दुल्तावेज, राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार उपरोक्त खातों में काली पति रामलाल के स्थान पर काली देवी पति रामलाल किया जाना उचित है।
 दिनांक: 23/08/24
 11.09.26 धारणा
 महेन्द्रजी
 20.11.25
 20.11.25
 20.11.25

तहसीलदार की रिपोर्ट प. हं की रिपोर्ट व भू. अ. गि. की जांच के आधार पर दुरुस्ती किसे जांच की अभिव्यक्ति की जाती है।
 दिनांक: 23/08/24
 तहसीलदार (भू. अ.) नसीराबाद

2025
 433

प्रभारी अधिकारी "ग्रामीण सेवा शिविर-2025"

दिनांक: 23/9/21

क्रमांक / 138

आदेश

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अभिलेख में दुरुस्ती हेतु निवेदन किया गया है एव इस दुरुस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट व तहसीलदार नसीराबाद की अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसार मे ग्राम रूपोडा तहसील नसीराबाद की जमाबंदी सम्वत् 2069-72 के खाता संख्या 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरमद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र स	पूर्व इन्द्राज का विवरण		स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज			
	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा
1	काली पति रामलाल शेख लदमूर	उपरोक्त मैवाणी अनुसार	खाता सं. रामलाल शेख लदमूर	काली देवी पति रामलाल शेख लदमूर	उपरोक्त खाता सं. में वर्णित अनुसार	

क्रमांक: - 498-909

दिनांक: - 23/9/25

प्रतिकृति :- 1. तहसीलदार नसीराबाद की पालना में
 2. आदेश प्रभावली)

प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी
 नसीराबाद, जिला अजमेर

